

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर  
क्रमांक:-एफ3(2)बजट/सान्याअवि/2020-21/5567

दिनांक:- 18-3-2021


परिपत्र

विषय:- बजट प्रावधान/आवंटित राशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिये संशोधित आय-व्यय अनुमानों में स्वीकृत किये गये बजट प्रावधानों के सम्बंध में समय-समय पर योजना प्रभारियों को अवगत कराते हुये राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।


उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्ति की ओर है अतः समस्त योजना प्रभारियों एवं कार्यालयध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विभिन्न योजनाओं के लिये प्रावधित राशि का उपयोग दि० 31.03.2021 तक किया जाना सुनिश्चित करे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि बजट की उपलब्धता के रहते नियमों के तहत उत्पन्न दायित्वों को बकाया नहीं रखा जावे।

Proposed  
In  
18/3/21

  
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) सान्याअवि।
2. अति०निदेशक, सामाजिक सुरक्षा / पेंशन / अत्याचार निवारण / देवनारायण / योजना / एस.सी.एस.पी. / छात्रावास / छात्रवृत्ति / पालनहार।
3. उपनिदेशक, पिछड़ीजाति/राईस/छात्रावास एवं छात्रवृत्ति / वृद्ध कल्याण।
4. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, प्रधानाचार्य समस्त राज० आवासीय विद्यालय/नारी निकेतन/महिला सदन/वृद्धाश्रम/ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि।
5. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) को विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं उपरोक्त समस्त कार्यालयों को ई-मेल करवाये जाने हेतु।

  
वित्तीय सलाहकार

upload  
website  
and mail also  
In  
18/3/21